



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 22.09.22

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा NCR क्षेत्र में मो0साईकल चोरी करने वाला 01 बाल अपचारी मय थाना इन्दिरापुरम से संबंधित चोरी की एक मो0साईकल मय 01 अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.09.2022 को रामप्रस्था कलोनी के गेट नंबर 2 से सैक्टर 5/6 की पुलिया की तरफ से 01 बाल अपचारी को मय थाना इन्दिरापुरम से संबंधित चोरी की एक मो0साईकल मो0सा0 अपाचे न0 UP12AW 2498 इंजन नंबर BE4GJ2814570 व चेसिस नंबर MD634BE41J2G15019 सम्बंधित मु0अ0स0 1238/2022 धारा 379 भादवि थाना इन्दिरापुरम व एक चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार बाल अपचारी उपरोक्त को सम्प्रेक्षण गृह मे भेजा जा रहा है ।

अपराध कारित करने का तरीका-

बाल अपचारी NCR क्षेत्र मे सडक किनारे खडे वाहनो को चोरी करना ।

बाल अपचारी के अपराध का विवरण -

मु0अ0सं0 524/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कौशाम्बी
मु0अ0स0 1238/2022 धारा 379 भादवि थाना इन्दिरापुरम
व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की एक मो0साईकल मो0सा0 अपाचे न0 UP12AW 2498
एक अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0 नि0 अमिताभ सिंह
2. हे.का. 531 शिशिर कुमार
3. का0 2578 पवन कुमार

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा NCR क्षेत्र में शराब बेचने वाला 01 शातिर अभि0 मय 16 अदद पौच्वा FRESH Motta मार्का मसालेदार देशी शराब नाजायज फोर सेल इन हरियाणा नाजायज शराब सहित गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कौशाम्बी

पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.09.2022 को पुरानी बिल्डिंग आनन्द बिहार बोर्डर के पास से 01 शातिर अभियुक्त 1. अभियुक्त नटवर पुत्र साबिर निवासी झुग्गी झोपडी शुक्रबाजार के पास भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र लगभग 25 वर्ष संबंधित मु0अ0स0 522/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 मय 16 अदद पौव्वा FRESH Motta मार्का मसालेदार देशी शराब नाजायज फोर सेल इन हरियाणा सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है ।

नाम पता अभियुक्त -

अभियुक्त नटवर पुत्र साबिर निवासी झुग्गी झोपडी शुक्रबाजार के पास भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र लगभग 25 वर्ष

अपराध का विवरण -

1. मु0अ0स0 522/2022 से धारा 60/63 आबकारी अधि0 व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

16 अदद पौव्वा FRESH Motta मार्का मसालेदार देशी शराब नाजायज फोर सेल इन हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अमित सोनी
2. हे0का0 196 विकास कुमार
3. का0 राहुल कुमार

स्वाट टीम द्वारा एक शातिर मो0सा0 चोर को मय चोरी की एक मो0सा0 के किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 21.09.2022 को समय 19.44 बजे चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर डायमण्ड फ्लाईओवर शास्त्रीनगर के पास थाना क्षेत्र कविनगर से अभियुक्त (1) इरफान पुत्र मौजूद्वीन नि0 बैरून कोठला थाना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर रजि0न0 DL4SCQ1786 इंजन न0 HA10AGHHC75464 चैसिस न0 MBLHAR076HHC65684 जिस पर फर्जी नं0 प्लेट रजिस्ट्रेशन नं0 DL4SCQ1786 लगी है सम्बन्धित मु0अ0सं0 30342/22 धारा 379 भादवि ई0 पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच नांगलोई दिल्ली को बरामद किया गया जिस पर फर्जी नं0 प्लेट । अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 867/22 धार 482/414 भादवि पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने अन्य साथी योगेश उर्फ राजू के साथ मिलकर मौका पाकर वाहनो चोरी की घटनाओं को अन्जाम देता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

इरफान पुत्र मौजूद्वीन नि0 बैरून कोठला थाना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र करीब 38 वर्ष।

नाम पता फरार अभियुक्त

योगेश उर्फ राजू निवासी हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरण -

मोटर साइकिल स्पलेण्डर रजि0न0 DL4SCQ1786 इंजन न0 HA10AGHHC75464 चैसिस न0 MBLHAR076HHC65684 जिस पर फर्जी नं0 प्लेट रजिस्ट्रेशन नं0 DL4SCQ1786 लगी है

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 867/22 धार 482/414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 1174/22 धारा 411/420/482 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 229/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना डिडोली अमरोहा ।

अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह अपराध शाखा गाजियाबाद।
2. है0का0 1677 वरुणवीर अपराध शाखा गाजियाबाद।
3. है0का0 117 बालेन्द्र अपराध शाखा गाजियाबाद।
4. का0 2554 मनोज अपराध शाखा गाजियाबाद।
5. का0 2355 नीरज कुमार अपराध शाखा गाजियाबाद।

क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद द्वारा अन्तर्राज्यीय 02 स्मैक(हेरोइन) तस्कर लगभग 30 लाख 70 हजार रूपये की कीमत के स्मैक(हेरोइन) सहित गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि एनसीआर क्षेत्र में युवाओं में बढ़ते हुए नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक: 22.09.2022 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में जनपद गाजियाबाद क्राइम ब्रान्च द्वारा महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए संतोष हॉस्पिटल के सामने पुराना बस अड्डा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद क्षेत्र में तस्करी कर लाई जा रही 210 ग्राम स्मैक(हेरोइन) जिसकी कीमत लगभग 30 लाख 70 हजार रूपये है, 02 तस्कर के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

पूछताछ का विवरण :-

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग जनपद बरेली से गाजियाबाद व दिल्ली में स्मैक(हेरोइन) की डिमाण्ड के अनुसार तस्करी करने जा रहे थे। हम लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना आतिफ है, जिसके कहने पर हम लोग एनसीआर, उ०प्र०, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में इसकी सप्लाई करते हैं। इसमें ज्यादा फायदा होने के कारण हम लोग इसी काम में लगे हैं। हमारे घर के खर्चे व शौक इसी कमाई से पूरा होते हैं।

अभियुक्त से पूछताछ पर कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दिल्ली व एनसीआर की मिली हैं। जिनके आधार पर टीम बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से ही इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. सलमान पुत्र आबिद निवासी कुन्जा ग्रांट थाना विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड
2. शकील बेग पुत्र मजीद खॉ निवासी ग्राम मजनूपुर थाना भमौरा जिला बरेली

बरामदगी का विवरण :-

1. 210 ग्राम नशीला पाउडर स्मैक कीमत लगभग 30 लाख 70 हजार रूपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. निरीक्षक श्री अब्दुर रहमान सिद्दीकी प्रभारी क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
2. निरीक्षक श्री सौरभ शुक्ला क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
3. हे०कां० 748 सचिन मलिक क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
4. हे०कां० 1367 संदीप कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
5. कां० 2203 सुनित कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
6. कां० 1550 नितिन कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
7. हे०कां० सहचालक 845 मुरशान अली क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

मु0अ0सं0 202/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त मय एक अदद तमन्चा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध वाहन/वांछित/व्यक्ति/रोकथाम जुर्म जरायम अभियान के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, के नेतृत्व में उ0नि0 श्री सोमवीर सिंह, उ0नि0 श्री मनोज कुमार मय है0का0 438 राकेश कुमार मय का0 3744 सुनील कुमार द्वारा दौराने चैकिंग थाना हाजा के मु0अ0सं0 178/22 धारा 380/411 भादवि0 व मु0अ0सं0 179/22 धारा 392/411 भादवि में वांछित अभियुक्त 1. अभियुक्त सलमान पुत्र रुस्तम निवासी चर्च के सामने धर्म कांटे के पीछे ताज कालोनी मसूरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को दिनांक 21.09.22 समय 20.50 बजे नाजायज एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध धन अर्जित करने हेतु चोरी तथा लूट करना तथा अवैध अस्लाह रखना ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सलमान पुत्र रुस्तम निवासी चर्च के सामने धर्म कांटे के पीछे ताज कालोनी मसूरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सोमवीर सिंह थाना निवाडी गा0बाद
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना निवाडी
3. है0का0 438 राकेश कुमार थाना निवाडी गा0बाद
4. का0 3744 सुनील कुमार थाना निवाडी गा0बाद

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस जिन्दा

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 178/22 धारा 380/411 भादवि0 थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 179/22 धारा 392/411 भादवि थाना निवाडी गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 202/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निवाडी गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त गण जिनके कब्जे से 09 गड्डे कपडों के व 02 अदद नाजायज चाकू अवैध बरामद ।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 21.9.22 समय 23.40 बजे निटको वाली गली के कोने पर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से 1. विकास कुमार गिरी पुत्र स्व० अजय गिरि निवासी म०न० 234 निटको वाली गली के सामने श्याम एन्केलव जनकपुरी थाना साहिबाबाद गा०बाद, मूल पता शिवगंज कालोनी निकट रूपम सिनेमा हाल थाना शिवगंज जिला आरा बिहार उम्र 38 वर्ष 2. भोला राजभर पुत्र स्व० नरेश राजभर निवासी म०न० 234 निटको वाली गली के सामने श्याम एन्केलव जनकपुरी थाना साहिबाबाद गा०बाद, मूल पता ग्राम बरमा पो० धनोटी थाना बांसजी थाना सकपुरा जिला बलिया उम्र 41 वर्ष को मय 09 गड्डे माल 2 अदद नाजायज चाकू अवैध सहित गिरफ्तार किया।

अपराध कारित करने का तरीका

अभि०गण उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब 2-3 दिन पहले रात को हमने शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास ट्रान्सपोर्ट एरिया के पास कपडे की 09 गांठे चोरी कर एक छोटे हाथी मे लादकर दिल्ली ले जा रहे थे तभी दिल्ली पीसीआर ने हमारा पीछा किया तो हमे शक हुआ कि पुलिस पकड लेगी इसलिए माल व छोटे हाथी को छोडकर भाग गये थे ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विकास कुमार गिरी पुत्र स्व० अजय गिरि निवासी म०न० 234 निटको वाली गली के सामने श्याम एन्केलव जनकपुरी थाना साहिबाबाद गा०बाद, मूल पता शिवगंज कालोनी निकट रूपम सिनेमा हाल थाना शिवगंज जिला आरा बिहार उम्र 38 वर्ष
2. भोला राजभर पुत्र स्व० नरेश राजभर निवासी म०न० 234 निटको वाली गली के सामने श्याम एन्केलव जनकपुरी थाना साहिबाबाद गा०बाद, मूल पता ग्राम बरमा पो० धनोटी थाना बांसजी थाना सकपुरा जिला बलिया उम्र 41 वर्ष

अभि०गण का आपराधिक इतिहास

मु०अ०स० 1511/2022 धारा 380/411 भा०द०वि०

मु०अ०स० 1541/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

मु०अ०स० 1543/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० श्री सौरभ कुमार,

उप नि० रामगोपाल सिंह

है०का० 1024 संजीव,

है०का० 1204 सुरेशपाल

बरामदगी का विवरण

09 गड्डे माल

2 अदद नाजायज चाकू अवैध

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो मे कुल 08 गिरफ्तार

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद द्वारा मय टीम के अलग अलग मामलो मे आज दिनांक 22.9.2022 को कुल 08 अभिगण गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनका विवरण निम्नवत है।

1. 02 अभियुक्त गण अन्तर्गत धारा 380 IPC से संबंधित
2. 01 अभियुक्त अन्तर्गत धारा 323,352,504,354ख,308 भादवि
3. 01 अभियुक्त अवैध शराब से सम्बन्धित
4. 01 अभियुक्त नाजायज चाकू बरामद से सम्बन्धित
5. 01 अभियुक्त वारण्टी से सम्बन्धित
6. 02 अभियुक्त शांति भंग -151 सीआरपीसी चालान

थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त मय 01 अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त लोनी जनपद गाजियाबाद को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ पुष्पबिहार पानी की टंकी के पास हल्का चौकी डीएलएफ से दिनांक 22.09.2022 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

भीम पुत्र होराम निवासी अंबेडकर पार्क के पास विकास नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष,

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-1116/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद,
2. उप नि0 रविंद्र बालियान चौ0 प्र0 डीएलएफ थाना लोनी,
3. हे0कां0 632 सुभय सिंह मय पीसी 40

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद चाकू नाजायज।

कार व्यवसायी से रंगदारी मांगने व न देने पर जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर

अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज जी आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में मुखबीर कि सूचना पर मु0अ0सं0 610/22 धारा 386/323/506/387 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त सम्पूर्णानंद उर्फ काले अनेजा पुत्र भगवान दास अनेजा को लोहियानगर इन्डसिट्रियल एरिया में शिव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका

वादी मुकदमा ने उपस्थित आकर थाना सिहानीगेट पर सूचना दी थी, जिसमें दिनांक 12.07.22 को समय 10.30 बजे रात्रि में वादी की गाड़ी में बैठे प्रदीप शर्मा व अमित चौधरी के साथ मारपीट करते हुए वादी पर रिवाल्वर तानते हुए 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगना तथा जान से मारने की धमकी देना तथा दिनांक 19.9.22 को समय 11.00 बजे भवानी आटा मिल के पास बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुनः वादी की गाड़ी को रोककर पिस्टल दिखाकर 20 लाख रुपये की रंगदारी अभि0 सम्पूर्णानंद उर्फ काले अनेजा उपरोक्त को न देने पर जान से मारने की धमकी देना।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 612/22 धारा 386/323/506/387 भादवि

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सम्पूर्णानंद उर्फ काले अनेजा पुत्र भगवान दास अनेजा नि0 1/1 लाल क्वाटर निकट गुरुद्वारा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह थाना सिहानीगेट गा0बाद

2.है0का0 718 राजेन्द्र सिंह थाना सिहानीगेट गा0बाद

बरामदगी

1.एक अदद रिवाल्वर 32 बोर लाईसेंसी मय 12 अदद कारतूस जिन्दा 32 बोर

2.घटना में प्रयुक्त कार होन्डा सिटी UP14DE7272